न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 212/2018

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 अलसाराम गोदपुत्र खुशालाराम जाति कुम्हार निवासी भादरेश तहसील व जिला बाडमेर।		1 पपू उर्फ फफू पत्नी खुशालाराम जाति कुम्हार निवासी भादरेश हाल विशाला तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92 RTA Act.

उपस्थिति :–

1. श्री बांकाराम चौधरी, वकील वादी पक्ष।
2. श्री हरीराम चौधरी, वकील प्रतिवादी पक्ष।

निर्णय

दिनांक 22.01.2019

संक्षिप्त में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त व पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा प्रजापतों की ढाणी पटवार क्षेत्र विशाला तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 929/782 रकबा 41.16 बीघा तथा मौजा भादरेश पुनसिया पटवार क्षेत्र भादरेश तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 310/56 रकबा 21.00 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि खुशाला की खातेदारी की थी। खुशाला के कोई सन्तान नही होने से खुशाला ने अपने जीवनकाल में सामाजिक रिति रिवाज के अनुसार वादी अलसाराम को गोद लिया था तथा गोद पुत्र की हैसियत से वादी खुशाला के साथ रहता था तथा उसकी सेवा चाकरी करता था। खुशाला के देहान्त के पश्चात समस्त धार्मिक क्रियाकलाप तथा सामाजिक दायित्वों का निर्वहन वादी द्वारा किया गया। खुशाला का देहान्त होने के कारण गोदनामा रजिस्टर्ड नही हो सका। खुशाला की इच्छा अनुसार उसकी पत्नी प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा दिनांक 03.01.1994 को उक्त गोदनामा पंजीबद्ध करवाया। खुशाला के देहान्त के पश्चात वादी को भी वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार अंकन किया जाना था, परन्तु पटवारी हल्का द्वारा नही किया गया। वादी उक्त भूमि में सहखातेदार घोषित होने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नॉटिस तलब किया गया। पक्षकारान की और से दिनांक 21.01.2019 को राजीनामा प्रस्तुत किया कि वादी को प्रतिवादी के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तो प्रतिवादी को कोई आपति नही है। वादी द्वारा वाद कथन के पक्ष में साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामा एवं अन्य दस्तावेजात के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी को खुशाला द्वारा गोद लिया गया था, जिसका गोदनामा खुशाला की इच्छा अनुसार उसकी पत्नी द्वारा दिनांक 03.01.1994 को रजिस्टर्ड करवा दिया था। प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादी को प्रतिवादी के साथ वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार घोषित करने पर प्रतिवादी को कोई आपति नही है।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त वादी का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा प्रजापतों की ढाणी पटवार क्षेत्र बिशाला तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 929/782 रकबा 41.16 बीघा तथा मौजा भादरेश पुनसिया पटवार क्षेत्र भादरेश तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 310/56 रकबा 21.00 बीघा भूमि में वादी को प्रतिवादी के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 22.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र – 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1 अलसाराम गोदपुत्र खुशालाराम जाति कुम्हार निवासी भादरेश तहसील व जिला बाडमेर।		1 पप्पू उर्फ फफू पत्नी खुशालाराम जाति कुम्हार निवासी भादरेश हाल विशाला तहसील व जिला बाडमेर।

दावा बाबत् 88 व 92 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :– 212/2018
निर्णय दिनांक :– 22.01.2019

वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.01.2019 को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादी का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा प्रजापतों की ढाणी पटवार क्षेत्र बिशाला तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 929/782 रकबा 41.16 बीघा तथा मौजा भादरेश पुनसिया पटवार क्षैत्र भादरेश तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 310/56 रकबा 21.00 बीघा भूमि में वादी को प्रतिवादी के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 22.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

Scanned by CamScanner